



दिनांक: 25.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना तीतरो पुलिस द्वारा मात्र 18 घण्टे में हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 हत्यारोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, निशानदेही पर आलाकत्ल ईंट बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.11.2024 को वादी श्री प्रमोद कुमार पुत्र यशपाल सिंह उर्फ पाल्ला निवासी ग्राम डूबर किशनपुर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अंकुर उर्फ रासू पुत्र सुनील कुमार शर्मा नवासी ग्राम डूबरकिशनपुर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के भाई आनन्द को अपनी स्कूटी पर बैठाकर ले जाने तथा वादी द्वारा देख लेने पर आवाज देकर रुकने के लिये कहने पर भी न रुकना और वादी भाई आनन्द उपरोक्त की हत्या करके शव को राहुल शर्मा ट्यूवेल के पास बने कुए में डाल देने की सूचना के आधार पर थाना तीतरो पर मु0अ0स0 125/2024 धारा 103(1)/238 बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर घटना के अनावरण व अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना तीतरो पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए मात्र 18 घण्टे में हत्यारोपी **अभियुक्त अंकुर उर्फ रासू पुत्र सुनील कुमार शर्मा निवासी ग्राम डूबर किशनपुर थाना तीतरों जनपद सहारनपुर** को रादौर गांव से बाहर गोगा माहडी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल ईंट बरामद। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण:- अभियुक्त रासू उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 22.11.2024 को दोपहर के समय मैं, आनन्द को अपनी इलैक्ट्रिक स्कूटी से खेत पर अपने साथ ले गया था करीब साढ़े तीन-चार बजे खण्डलाना ठेके से हम लोगो ने शराब व खाने पीने का सामान खरीदा था, उससे पहले भी हमने दिन में शराब पी थी जिस कारण से आनन्द ज्यादा नशे में था, जब मैं उसे लेकर खण्डलाना रादौर रोड पर आया तो वह मुझे गाली दे रहा था जिस कारण से मैं उसे अपने बाबा के बाग मे ले गया और वही पहले हम दोनो ने बैठकर शराब पी व अण्डे खाये उसके बाद वह मुझे गाली देता हुआ बात करने लगा इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया फिर भी वह लगातार मुझे गाली दे रहा था इस पर मुझे तैश आ गया और वहाँ पडी ईंट से उसे मारना शुरू कर दिया, जिससे वह वही मर गया और मैंने डर की वजह से उसके कपडे वहीं उतार कर आम के पेड की नीचे वही डाल दिये और इसे खींचता हुआ ले गया था वही बाग के सामने राहुल की ट्यूवेल पर बने कुए मैं डाल दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अंकुर उर्फ रासू पुत्र सुनील कुमार शर्मा निवासी ग्राम डूबर किशनपुर थाना तीतरों जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 ईंट आलाकत्ल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव शर्मा थाना तीतरो सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री राजकुमार सिंह थाना तीतरो सहारनपुर
3. है0का0 752 राजीव तोमर थाना तीतरो सहारनपुर
4. का0 2538 चन्द्रशेखर थाना तीतरो सहारनपुर



दिनांक 25.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी बडगाँव के कुशल नेतृत्व में पुलिस द्वारा आज दिनांक 25.11.2024 को 01 वारण्टी अभि० सुधीर कुमार पुत्र मांगेराम नि० ग्राम चन्द्रपुर मजबता थाना बडगाँव जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं० 263/2020 मु०अ०स० 123/2020 धारा 60(1) आबकारी अधि० मा० न्यायालय सिविल जज (जू०डी०) / न्यायिक मैजिस्ट्रेट देवबन्द ग्राम चन्द्रपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

सुधीर कुमार पुत्र मांगेराम नि०ग्रा० चन्द्रपुर मजबता थाना बडगाँव जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. उ०नि० रणपाल सिँह थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।
2. उ०नि० योगेन्द्र सिँह थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।
3. है०का० 908 ऋषिपाल थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।
4. एचजी 2029 प्रीतम थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 25.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

-प्रेस नोट-

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त को 08 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज 25.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त सद्दाम पुत्र अब्दुल वहीद निवासी मौ0 मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर को रायपुर रोड हाईवे ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 08 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0स0 355/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त सद्दाम उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ और इसलिए मैं हरियाणा राज्य की सस्ती शराब को चोरी छिपे खरीद कर ले आता हूँ तथा कस्बे में अपने आस पास के लोगो को अधिक दाम पर बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है। शराब बेचकर मेरा नसे का खर्च भी चल जाता है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सद्दाम पुत्र अब्दुल वहीद निवासी मौ0 मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर

अभियुक्त सद्दाम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 136/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 355/2024 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना सरसावा स0पुर

बरामदगी का विवरण

08 बोतल देशी शराब शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री रामबीर सिंह सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
2. है0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा सहारनपुर
3. का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा सहारनपुर



दिनांक 25.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी बडगाँव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.11.2024 को थाना बडगाँव पुलिस टीम द्वारा **03 नफर वारण्टी अभियुक्तगण 1.उमेश पुत्र किशन निवासी ग्राम चन्दपुर मजबता थाना बडगाँव जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 434/16 धारा 323/504/506 भादवि (मा0 न्यायालय जे0एम देवबन्द) में, **2.सजय पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम चन्दपुर मजबता थाना बडगाँव जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 1994/24 व मु0अ0स0 220/2023 धारा 323/308/504/506 भादवि चालानी थाना बडगाँव (मा0 न्यायालय अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश कोर्ट न0 11 सहारनपुर) में व **3.संजू उर्फ संजीव पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम चन्दपुर मजबता थाना बडगाँव सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 1994/24 व मु0अ0स0 220/2023 धारा 323/308/504/506 भादवि चालानी थाना बडगाँव (मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डी0)/न्यायिक मैजिस्ट्रेट देवबन्द) को थाना बडगाँव क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. उमेश पुत्र किशन निवासी ग्राम चन्दपुर मजबता थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
2. सजय पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम चन्दपुर मजबता थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
3. संजू उर्फ संजीव पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम चन्दपुर मजबता थाना बडगाँव सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

- 1- उ0नि0 श्री रणपाल सिंह थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
- 2- उ0नि0 योगेन्द्र चौधरी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
- 3- है0का0 231 रोहित चौधरी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
- 4- हो0गा0 2077 सतीश शर्मा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता व ANTF सहारनपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 531 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 01 करोड़ 06 लाख रुपये), 02 मोबाइल व तस्करी प्रयोग की जाने वाली 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मदाक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता एव ANTF सहारनपुर पुलिस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. नौशाद पुत्र इरशाद निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर व 2. सारिक पुत्र इदरिश निवासी घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर को हमाम नहर पुल दिल्ली सहारनपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 531 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 01 करोड़ 06 लाख रुपये), 02 मोबाइल फोन, तस्करी प्रयोग की जाने वाली 01 मोटरसाइकिल व 310 रुपये नकद बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 272/24 धारा 8/21/29/60 NDPS ACT पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो अपने एक अन्य साथी के कहने पर बरेली से स्मैक लाते हैं और लाकर उसको देते हैं। जिससे एवज में वह हम अच्छी खासे पैसे देता है। उन पैसे से हम लोग अपने घूमने फिरने व खाने पीने के शौक पूरा करते हैं। बरेली के जिस आदमी से हम लोग स्मैक लाते हैं उसकी सारी जानकारी हमारे साथी के पास है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. नौशाद पुत्र इरशाद निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर
2. सारिक पुत्र इदरिश निवासी घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 531 ग्राम स्मैक नाजायज (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 01 करोड़ 06 लाख रुपये)
- 02 अदद मोबाइल फोन
- 01 मोटरसाइकिल अपाचे न0 UP11BW2497
- 310/- रुपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री रवि कुमार ANTF सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह ANTF सहारनपुर
5. है0का0 801 अनुज कुमार थाना नानौता सहारनपुर
6. है0का0 490 अरविन्द कुमार थाना नानौता सहारनपुर
7. का0 शिवम चौधरी ANTF सहारनपुर,

8. का0 अश्वनी कुमार ANTF सहारनपुर

9. का0 अंकित कुमार ANTF सहारनपुर



दिनांक 25.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह/कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर अभियुक्तगण 1. राकिब पुत्र अनवर नि0 ग्राम कुण्डा खुर्द थाना गंगोह जिला सहारनपुर व 2. रिजवान पुत्र नूरहसन नि0 ग्राम आलमपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर को आलमपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 देशी तमंचे व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-511/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हमने ये तमंचे व कारतूस काफी दिनों पहले राह चलते व्यक्ति से लिये थे जिसका नाम पता हम नहीं जानते। हम लोगो पर रौब जमाने व अपनी सुरक्षा के लिए अपने पर तमंचे कारतूस रखते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1- राकिब पुत्र अनवर नि0 ग्राम कुण्डा खुर्द थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 2- रिजवान पुत्र नूरहसन नि0 ग्राम आलमपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 02 अदद तमंचा 315 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त राकिब उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- (1) मु0अ0सं0- 93/21 धारा 8/21/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (2) मु0अ0सं0- 94/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- (3) मु0अ0सं0- 331/17 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- (4) मु0अ0सं0- 625/16 धारा 147/148/149/302/307/323/504/506 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
- (5) मु0अ0सं0 687/16 धारा 25 आयुध अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- (6) मु0अ0सं0 511/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना गंगोह जिल सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. का0 326 रिकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. का0 2452 रक्षित चाहल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक: 25.11. 2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए
01 वाहन चोर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 24.11.2024 को वादी श्री गोपाल आग्रवाल पुत्र दीपक कुमार अग्रवाल निवासी महाराजा गार्डन बेहट रोड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल न0- UK 07 AN 9584 चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 683/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार को आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में नकबजनी/चोरी/लूट आदि घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 शातिर वाहन चोर अभियुक्त दीपक पुत्र फोकर पाल निवासी रामनगर मल्हीपुर रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को विनोद विहार कालोनी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि अपने शौक पूरा करने व पैसों के लालच में मैंने यह मोटरसाइकिल जै0वी0जैन कालिज के बाहर से चोरी की थी। आज मैं इसे वैचने के लिए जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

दीपक पुत्र फोकर पाल निवासी रामनगर मल्हीपुर रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगी का विवरण -

01 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री बबलु कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का0 1556 रोहित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. हौ0गा0 1961 दिनेश कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगण से 01 तमंचा व चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नकबजनी/चोरी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर अभियुक्तगण 1. उमेर गुर्जर पुत्र साजिद निवासी निवासी ई बस्ती निकट पानी की टंकी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर व 2. फरमान पुत्र अफजाल निवासी पुराना घास काटा निकट नई मस्जिद पिलखनतला मौहल्ला छिपयान थाना कोतवासी नगर जनपद सहारनपुर को न्यू कपिल बिहार ढमोला नदी के किनारे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 तमंचा व 01 चाकू बरामद। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 688/24 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने बताया कि हम यह तमंचा व चाकू लोगो को डराने धमकाने व अपने शोक के लिए अपने पास रखते हैं। गलती हो गयी माफ कर दो। हाथ जोड़कर गलती की माफी माँगने लगे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. उमेर गुर्जर पुत्र साजिद निवासी निवासी ई बस्ती निकट पानी की टंकी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. फरमान पुत्र अफजाल निवासी पुराना घास काटा निकट नई मस्जिद पिलखनतला मौहल्ला छिपयान थाना कोतवासी नगर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण: -

- 01 तमंचा
- 01 चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री जहांगीर थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. उ0नि0 अशोक कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. का0 266 धीरज कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. का0 2407 वासुदेव कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
5. का0 2421 ब्रजेश कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
6. है0का0 739 ललित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।



दिनांक: 25.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 ई-रिक्शा की बैटरी, 01 इन्वर्टर व 02 ट्यूबलर बैट्रे बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 22.10.24 को वादी अमरनाथ पुत्र करण सिंह निवासी निवासी 20 प्रेमपुरम कालौनी मल्हीपुर रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 21.10.24 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा वादी की फर्म हाईटेक ट्रेडिंग कम्पनी का शटर का ताला तोडकर अन्दर रखे दो बैटरे इन्वर्टर व कम्प्यूटर आदि व 06 हजार रूपये नकदी चोरी हो जाने की सूचना पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 617/24 धारा 331(4)305(ए) बी0एन0एस0 के व वादी मनीष शाहनीपुत्र हरिराम शाहनी निवासी पैपर मिल रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 09.11.2024 को अज्ञात चोरो द्वारा घर के बहार से वादी की ई-रिक्शा की बैटरी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 663/24 धारा 303(2) बीएन0एस0 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नकबजनी/चोरी/लूट आदि आपराधिक घटनाओ की रोकथाम व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर चोर 1. **अभियुक्त अजय कुमार पुत्र महावीर निवासी आशीर्वाद कालौनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** व 2. **रवि कुमार पुत्र महाबीर निवासी आशीर्वाद कालौनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को आवास विकास कालौनी के पीछे तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर 02 ट्यूबलर बैटरे व 01 इन्वर्टर लूमिनियस कम्पन्नी (सम्बन्धित मु0अ0स0 617/24 धारा 331(4)305(ए) बीएनएस) व 02 ई-रिक्शा की बैटरी (सम्बन्धित मु0अ0स0 663/24 धारा 303(2) बी0एन0एस) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो भाई मिलकर रात के समय एकान्त स्थान पर खड़े वाहन, बन्द दुकानो व मकानो से बैटरी आदि सामान चोरी करते है। चोरी किये गये सामान को बेचकर हम लोग अपने शौक पूरा करते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. अजय कुमार पुत्र महावीर निवासी आशीर्वाद कालौनी थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. रवि कुमार पुत्र महाबीर निवासी आशीर्वाद कालौनी थाना सदर बाजार सहारनपुर।

अभियुक्त अजय का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 112/20 धारा 188 भा0द0वि0 थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. मु0अ0स0 63/23 धारा 147/148/149/307/325 भा0द0वि0 थाना जनकपुरी सहारनपुर
3. मु0अ0स0 262/20 धारा 188/269/270/271/336 भा0द0वि0 व 3 महामारी अधि0 थाना सदर बाजार
4. मु0अ0स0 300/20 धारा 147/148/323/325/452/504/506 भा0द0वि0 थानासदर बाजार सहारनपुर
5. मु0अ0स0 303/23 धारा 376डी/504 भा0द0वि0 थाना सदर बाजार सहारनपुर
6. मु0अ0स0 430/23 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर

7. मु0अ0स0 550/22 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना सदर बाजार सहारनपुर
8. मु0अ0स0 786/29 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना सदर बाजार सहारनपुर
9. मु0अ0स0 332/24 धारा 379/411भा0द0वि0 10 गुण्डा अधि0 थाना सदर बाजार सहारनपुर
- 10.मु0अ0स0 248/19 धारा 147/148/323/324/504/506 भा0द0वि0 थाना सदर बाजार सहारनपुर
- 11.मु0अ0स0 530/22 धारा 147/323/504 भा0द0वि0 थाना सदर बाजार सहारनपुर
- 12.मु0अ0स0 617/24 धारा 331(4)305(ए)317(2)बी0एन0एस0 थाना सदर बाजार सहारनपुर
- 13.मु0अ0स0 663/24 धारा 303(2)317(2) बी0एन0एस0 थाना सदर बाजार सहारनपुर

आपराधिक इतिहास रवि-

1. मु0अ0स0 617/24 धारा 331(4)305(ए)317(2)बी0एन0एस0 थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. मु0अ0स0 663/24 धारा 303(2)317(2) बी0एन0एस0 थाना सदर बाजार सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 02 बैट्री ई-रिक्शा
- 02 ट्यूबलर बैट्रे
- 01 इन्वर्टर

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. अति0 निरीक्षक श्री राजेन्द्र गिरी थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. उ0नि0 रामकुमार गौतम थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. का0 2421 ब्रजेश कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. का0 2241 अनिल कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. का0 2486 जितेन्द्र सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर



दिनांक 25.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा स्कूटी चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर झप्पटामार/ चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 02 मोबाइल फोन व 01 स्कूटी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 23.11.2024 को वादी अनिवेश त्यागी पुत्र स्व अनिल कुमार त्यागी निवासी जनकनगर खानआलमपुरा निकट सीडीएम स्कूल थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी स्कूटी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 284/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये थे। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए स्कूटी चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त अवि सैनी पुत्र प्रमोद सैनी निवासी गाँधी कॉलोनी बाबा लालदास रोड थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को खुमरान पुल पर मन्दिर के किनारे धोबी घाट वाली सड़क से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 स्कूटी व 02 मोबाइल फोन बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 317/(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-अभियुक्त अवि उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने व मेरे दोस्त ने बेहट रोड़ काफी मीठी कैफे के पास से दिन के समय चोरी की थी तथा मैंने एक मोबाइल फोन सेमसंग गलैक्सी Mo4 दिनांक 22/11/2024 को रात्रि के समय काँशीराम कॉलोनी के पास एक मैरिज होम के पास से एक महिला से झपट्टा मारकर छीना था और फोन छीनकर मैं स्कूटी से भाग गया था तथा बताया कि दूसरा मोबाइल फोन मैंने और मेरे साथी के साथ मिलकर दिनांक 23.11.24 को समय करीब शाम 6.30 बजे विश्वकर्मा चौक के पास एक महिला से झपट्टा मारकर छीनकर हम स्कूटी से भाग गये थे जो vivo कम्पनी का था। हम दोनो लोग अपने शौक पूरा करने के लिए मौका देखकर छीना झपटी करके भाग जाते हैं और जो पैसा मिलता है उससे अपने शौक पूरा करते हैं। आज भी मैं स्कूटी से छीना झपटी करने के लिये जा रहा था कि आपने मुझे चोरी की स्कूटी के साथ पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अवि सैनी पुत्र प्रमोद सैनी निवासी गाँधी कॉलोनी बाबा लालदास रोड थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 स्कूटी जिसका नम्बर UP11CW3468
- 02 मोबाइल फोन (सेमसंग व वीवो) थाना सदर बाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 687/24 धारा 304(2) बीएनएस तथा मु0अ0सं0 686/24 धारा 304(2) बीएनएस

अभियुक्त अवि उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 348/21 धारा 13 जी एक्ट थाना मण्डी , सहारनपुर
- 2- मु0अ0सं0 308/22 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी,सहारनपुर
- 3- मु0अ0सं0 268/23 धारा 392,411 भादवि थाना मण्डी, स0पुर
- 4- मु0अ0सं0 130/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी, स0पुर
- 5- मु0अ0सं0 686/24 धारा 304(2) बीएनएस थाना सदरबाजार, स0पुर
- 6- मु0अ0सं0 687/24 धारा 304(2) बीएनएस थाना सदरबाजार, स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
2. है0का0 380आजाद सिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
3. का01354 अभिषेक कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
4. का0 296 तरुण शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर



दिनांक 25.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस, द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी गागलहेडी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त वसीम अकरम पुत्र असगर नि0 मखमूल्ला कालनी दिनारपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद स0 2522/22 मु0अ0स0 35/10 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी सहारनपुर को (मा0 न्यायालय श्रीमान न्यायिक मैजिस्ट्रेट तृतीय) में थाना गागलहेडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

वसीम अकरम पुत्र असगर नि0 मखमूल्ला कालनी दिनारपुर थाना गागलहेडी स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1. उ0नि0 श्री ओमपाल सिंह यादव
2. है0का0 379 प्रमोद कुमार
3. का0 1035 हरेन्द्र कुमार



दिनांक 25.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस, द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शांतिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **पाल्लू उर्फ महिपाल पुत्र फूलचन्द नि0 चकहरेटी थाना जनकपुरी सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 15327/24 धारा 324/323/504/506 भादवि चालानी थाना जनकपुरी में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

पाल्लू उर्फ महिपाल पुत्र फूलचन्द नि0 चकहरेटी थाना जनकपुरी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1. उ0नि0 श्री विवेक वैद्यवान थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. है0का0 731 पोपिन थाना जनकपुरी सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस, द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा एनबीडब्लू वारन्टी **अभियुक्त 1. फुरकान पुत्र इरफान नि० मौ० कायस्थवाडा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं० 69/16 मु०अ०सं० 963/15 धारा 380/411 भादवि, चालानी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर नियत दिनांक 19.12.24 मा० न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द जिला सहारनपुर **2. काशीराम पुत्र जहारू नि० तलहैडी खुर्द थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं० 463/03 मु०अ०सं० 12/2001 धारा 323 भादवि, चालानी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर नियत दिनांक 29/11/24 मा० न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द जिला सहारनपुर **3. बबलू पुत्र बख्तावर नि० लबकरी थाना देवबन्द सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं०- 1091/16 मु०अ०सं०-161/16 धारा 323/504/506 भादवि चालानी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर, नियत दि० 20/12/24 मा० न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द जिला सहारनपुर मे जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. फुरकान पुत्र इरफान नि० मौ० कायस्थवाडा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. काशीराम पुत्र जहारू नि० तलहैडी खुर्द थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3. बबलू पुत्र बख्तावर नि० लबकरी थाना देवबन्द सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ०नि० श्री संजय यादव थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 2- उ०नि० श्री कृष्णपाल सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 3- है०.का०.274 रवि तोमर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 4- का० 2078 सतेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 5- का० 16 पवन सिरोही थाना देवबन्द जिला सहारनपुर



दिनांक: 25.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस, द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वाछिंत/वारंटी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25/11/24 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त सनव्वर पत्नि स्व0 अकील अहमद निवासी 1244/4 किला नवाबगंज थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित परिवाद सं0-65/16 धारा-138 एनआई एक्ट में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सनव्वर पत्नि स्व0 अकील अहमद निवासी 1244/4 किला नवाबगंज थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

- 1.उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
- 2.म0का0 187 अन्नू थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
- 3.म0का0 968 हिमांशु थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
- 4.म0हो0गा0 539 शाहिस्ता थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
- 5.पीआरडी सीता थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
- 6.हो0गा0 826 रामकुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर



दिनांक: 25/11/2024

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तरप्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/ अभियुक्त को किया गिरफ्तार चोरी किया सामान बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 20/11/2024 को वादिया डॉ० दिव्या वर्मा चिकित्साधिकारी सीएचसी गंगोह जिला सहारनपुर निवासी निकट एसबीआई बैंक तहसील रोड नकुड़ थाना नकुड़ जिला सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 16.11.2024 को अज्ञात चोर द्वारा सीएचसी गंगोह के कमरा नं० 7 से वादिया का पर्स जिसमें 4000 रु०, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, डी.एल, आधार कार्ड व वोटर आईडी कार्ड सहित चोरी किये जाने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 506/24 धारा 305(ए) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु शातिर चोरों व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **अभियुक्त फातिर पुत्र हामिद निवासी मौ० कोटला कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर** को बुद्धाखेडा से नकुड़ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी का सामान (1000 रु०, 01 पैन कार्ड, 01 एटीएम कार्ड, 01 डी.एल, 01 वोटर आईडी कार्ड व 01 छोटा पर्स) बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 16.11.24 को मैं सीएचसी गंगोह किसी काम से गया था, वही पर मुझे डाक्टर का एक कमरा खुला हुआ दिखाई दिया जिसमें मेज पर एक पर्स रखा हुआ था। जिसे देखकर मुझे लालच आ गया और मैंने उसे चोरी कर लिया था।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 छोटा पर्स
- 01 ड्राइविंग लाइसेन्स
- 01 अदद पैनकार्ड
- 01 अदद एटीएम कार्ड
- 01 अदद वोटर आईडी कार्ड
- 1000/-रु० नकद बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

फातिर पुत्र हामिद निवासी मौ० कोटला कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 140/2022 धारा 465 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 362/2019 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 183/2018 धारा 380,411,457 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 184/2018 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. का0 326 रिंकू थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. का0 2452 रक्षित चाहल थाना गंगोह जिला सहारनपुर



दिनांक: 25/11/2024

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तरप्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस, द्वारा घर/दुकान में चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/ अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये 13 सिक्के सफेद धातु, 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु, 01 ई रिक्शा बैटरी, 01 आला नकब एवं चोरी किये 9390 रुपये बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 02.11.24 को वादी सलमान पुत्र श्री अब्दुल खालिक निवासी हरिजन कालोनी गली नं0 2 कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की अम्बर आटो एजेन्सी से करीब 40,000 रुपये व एजेन्सी के पास में ही गुप्ता प्रोविजन स्टोर से लगभग 11,000 रुपये व सिंघल प्रोविजन स्टोर से लगभग 10,000 रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 209/24 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया एवं दिनांक 22.11.2024 को वादी श्री अजय कुमार पुत्र प्रीतम सिंह निवासी रुड़की रोड़ हरनाम सिंह नगर उत्सव पैलेस के पास थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर द्वारा लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर व अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे चांदी के सिक्के व पाजेब चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 218/24 धारा 305(a)/331(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/लूट/नकबजनी आदि घटनाओं की रोकथाम व शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त दोनो अभियोगों की घटना कारित करने वाले **अभियुक्तगण 1. अंकित कुमार पुत्र नेकीराम नि0 ग्राम कपासा थाना नांगल जनपद सहारनपुर 2. मांगेराम पुत्र राजपाल नि0 ग्राम इस्माईलपुर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर** को ग्राम रसूलपुर फलाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हम दोनो की मुलाकात सहारनपुर जेल में हुई थी । अंकित ने बताया कि जेल से छूटने के बाद मैंने ई रिक्शा लोन पर खरीदी है जिससे मैं सवारी ढोता हूँ और उसी दौरान चोरी करने के लिये मकान/दुकान आदि देख लेता हूँ तथा दिन या रात में मौका मिलते ही मैं और मांगेराम बन्द पड़े मकान या दुकान के ताले को अपनी ई रिक्सा में रखे लोहे की सरिया (अहानी) से तोड़कर चोरी कर लेते थे । दिनांक 21.11.2024 को मैं कस्बा छुटमलपुर में हरनाम सिंह नगर में सवारी छोड़ने आया था मेरे साथ मांगेराम भी था । उसी दौरान हम दोनो को हरनाम सिंह नगर में उत्सव गार्डन के पीछे बन्द पड़े मकान के मुख्य गेट पर लगे ताले को हमारी ई-रिक्सा में रखे अहानी से तोड़कर मैं मकान के अन्दर घुस गया था और मांगेराम निगरानी मकान के बाहर खड़ा हो गया । अन्दर कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखी चांदी के 13 सिक्के व 01 जोड़ी पाजेब चांदी की चुरा ली थी जो हमने आपस में बांट लिये थे। ये वही सिक्के व पाजेब है जो आपको हमारी तलाशी से मिले है इन्हे आज हम बेचने के लिये जा रहे थे तथा बरामद रुपयें हम दोनो ने इसी महीने के 1/2 तारीख की रात को कस्बा

मुजफ्फराबाद सड़क पर स्थित आटो ऐजन्सी व दो परचून की दुकानो से चोरी किये थे। चोरी में हमे लगभग 30,000 रूपये मिले थे जो हमने आपस मे बांट लिये थे जो हमसे रूपये बरामद हुये ये रूपये हमने वहीं से चुराये थे जो खर्च करने के बाद बचे है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. अंकित कुमार पुत्र नेकीराम नि0 ग्राम कपासा थाना नांगल जनपद सहारनपुर
2. मांगेराम पुत्र राजपाल नि0 ग्राम इस्माईलपुर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 9390/- रूपये नगद
- 13 अदद सिक्के सफेद धातु
- 01जोड़ी पाजेब सफेद धातु
- 01 अदद ई रिक्शा बैटरी
- 01 अदद आला नकब (अहानी)

अभियुक्त अंकित कुमार का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 38/24 धारा 380/411 भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 382/24 धारा 305(a), 317(2), 331(3) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 209/24 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 218/24 धारा 305(a)/331(3)/317(2) बीएनएस थाना फतेहपुर सहारनपुर

अभियुक्त मांगेराम का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 138/08 धारा 401 भादवि थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 139/08 धारा 25 आयुध अधि0 थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 147/08 धारा 379/411 भादवि बिहारीगढ़ सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 239/08 धारा 3 यूपी गुन्डा अधि0 थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 177/15 धारा 379/411 भादवि थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 39/10 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 179/15 धारा 379/411 भादवि थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 237/15 धारा 379/411 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 186/15 धारा 302/392/411 भादवि थाना ननौता सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 71/18 धारा 147/353/332 भादवि व 3 यूपी गुन्डा अधि0 थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 01/18 धारा 3 यूपी गुन्डा अधि0 थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
12. मु0अ0 सं0 84/16 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 182/20 धारा 63 आबाकरी अधि0 थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
14. मु0अ0सं0 88/20 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
15. एनसीआर नं0 9/21 धारा 323/506 भादवि थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर

16. निल/08 धारा 41/102 सीआरपीसी थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
17. मु0अ0सं0 183/15 धारा 414 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
18. मु0अ0सं0 48/09 धारा 506 भादवि थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
19. मु0अ0सं0 165/22 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
20. मु0अ0सं0 183/17 धारा 414 थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
21. मु0अ0सं0 42/24 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
22. मु0अ0सं0 209/24 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना फतेहपुर सहारनपुर
23. मु0अ0सं0 218/24 धारा 305(a)/331(3)/317(2) बीएनएस थाना फतेहपुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1- उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
- 2- उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार सांगवान थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
- 3- उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
- 4- है0का0 738 विनोद कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
- 5- का0 952 अरविन्द थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर



दिनांक:- 25.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से ट्यूबवैल के मोटर का केबिल, कापर/सिल्वर का तार वजन करीब 15 किलोग्राम बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 07.11.2024 को वादी श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री राजकुमार निवासी ग्राम कुन्डी थाना सरसावा जिला सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की बिजली की ट्यूबवैल से मोटर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0स0 343/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व नकबजनी/चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में आज दिनांक 25.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर गस्त व चैकिंग के दौरान थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 01 शातिर चोर/अभियुक्त सुनील उर्फ काली पुत्र जगदीश निवासी ग्राम किशनपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को हाइवे से ग्राम बुढेडा/हवाई पट्टी की ओर जाने वाली सड़क से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी का बिजली कि ट्यूबवैल की मोटर का केबिल व सिल्वर/काँपर के तार वजन करीब 15 किलोग्राम बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त सुनील उर्फ काली उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं नशे का आदि हूँ तथा अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी करता हूँ। कुछ दिन पहले रात को मैंने ग्राम कुण्डी, अप्लाना, मंधौर के जंगल से मोटर के केबिल व मोटर का तार चोरी करके कट्टे में भरकर छिपाकर रख दिया था जिसे आज मैं निकालकर कट्टे में भरकर बेचने जा रहा था कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

वाजिद पुत्र जाहिद हुसैन निवासी ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0सं0 247/21 धारा 63 आबकारी अधि0 व 272/273 भादवि थाना सरसावा
- 2.मु0अ0सं0 60/23 धारा 380/411 भादवि थाना सरसावा
- 3.मु0अ0सं0 63/23 धारा 411/414 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा
- 4.मु0अ0सं0 82/23 धारा 380/411 भादवि थाना नकुड
- 5.मु0अ0सं0 263/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा
- 6.मु0अ0सं0 118/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा
- 7.मु0अ0सं0 343/24 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना सरसावा

बरामदगी का विवरण

➤ बिजली कि ट्यूबैल की मोटर का केबिल व सिलवर/कापर के तार वजन करीब 15 किलोग्राम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रामबीर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 1259 विनित तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



दिनांक: 25.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना देवबन्द पुलिस द्वारा जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,
कब्जे से 1050/- रुपये बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शांतिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा जुआ कराने वाला 01 अभियुक्त इमरान पुत्र मेहरूद्दीन निवासी ग्राम झबीरन थाना देवबन्द सहारनपुर को मैडिकल स्टोर ग्राम झबीरन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 1050 बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 648/24 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इमरान पुत्र मेहरूद्दीन निवासी ग्राम झबीरन थाना देवबन्द (सहारनपुर)

बरामदगी का विवरण –

- 1050 रुपये
- एक सट्टा पर्चा,
- एक गत्ता,
- एक पैस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 श्री के0पी0 सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 2- है0का0 274 रवि तोमर थाना देवबंद जिला सहारनपुर



दिनांक- 25.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा अलग-अलग प्रकरणों में 04 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया

गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा **अलग-अलग प्रकरणों में 04 वारण्टी अभियुक्तगण 01- सोनू पुत्र रोशन निवासी ग्राम मडौरा थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या—3938/23 धारा147/323/504/506 भादवि चालानी थाना चिलकाना को ग्राम मडौरा थाना चिलकाना सहारनपुर से, 02 – अरविन्द पुत्र करेशन निवासी ग्राम मडौरा थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 3938/23 धारा147/323/504/506 भादवि चालानी थाना चिलकाना को ग्राम मडौरा थाना चिलकाना सहारनपुर से, 3- भोलू पुत्र सकूर नि0 ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या- 4370/23 धारा— 3/5/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को ग्राम दूधगढ से व 4- शाबिर पुत्र शौकत निवासी दभेडा थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या- 11399/22 धारा— 25 आर्मस एक्ट बनाम थाना चिलकाना को ग्राम दभेडा थाना चिलकाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 01- सोनू पुत्र रोशन निवासी ग्राम मडौरा थाना चिलकाना सहारनपुर
- 02- अरविन्द पुत्र करेशन निवासी ग्राम मडौरा थाना चिलकाना सहारनपुर
- 03- शाबिर पुत्र शौकत निवासी दभेडा थाना चिलकाना सहारनपुर
- 04- भोलू पुत्र सकूर नि0 ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सोनू उपरोक्त:-

1. वाद संख्या—3938/23 धारा147/323/504/506 भादवि चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 134/04 धारा147/323/504/506 भादवि चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त:

1. वाद संख्या—3938/23 धारा147/323/504/506 भादवि चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 134/04 धारा147/323/504/506 भादवि चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त भोलू उपरोक्त:

1. वाद संख्या- 4370/23 धारा— 3/5/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शाबिर उपरोक्त:

- 1- मु0अ0सं0 56/15 धारा 398/401 भादवि व 4/25 आर्मस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
- 2- मु0अ0सं0 57/15 धारा 25 आर्मस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
- 3- मु0अ0सं0 214/15 धारा 394/411 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
- 4- मु0अ0सं0 249/15 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
- 5- मु0अ0सं0 287/15 धारा 420/467/468/471 भादवि व 60/72 आबकारी अधि0 थाना सरसावा सहारनपुर

- 6- मु0अ0स0 47/16 धारा 223/224/225 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
- 7- मु0अ0स0 195/16 धारा 392 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
- 8- मु0अ0स0 230/16 धारा 25 आर्मस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
- 9- मु0अ0स0 172/17 धारा 10 यूपी गुण्डा एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
- 10- मु0अ0स0 214/18 धारा 147/148/324/504/506 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
- 11- मु0अ0स0 588/20 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
- 12- मु0अ0स0 105/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
- 13 -वाद संख्या- 11399/22 धारा— 25 आर्मस एक्ट बनाम थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:

1. उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुभाष राणा थाना चिलकाना सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री विपिन शर्मा थाना चिलकाना सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री पीयूष कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
5. है0का1052 कुलदीप सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर
6. का0 634 मनोज कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
7. का0 2059 शुभम सिरोही थाना चिलकाना सहारनपुर
8. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर
9. है0का0 913 अरुण तोमर थाना चिलकाना सहारनपुर
10. का0 461 सोनू तोमर थाना चिलकाना सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 25-11-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा नशा तस्करी के मामलें में अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई: -

अवगत कराना है, कि दिनांक 13.02.2020 को वादी उ0नि0 श्री संहन्सरपाल सिंह थाना कु0शेर जनपद सहारनपुर द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त फिरोजखान पुत्र इमरान नि0 हबीबगढ थाना कु0शेर जनपद सहारनपुर के कब्जे से 260 ग्राम चरस बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0-47/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुशेर जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 472/2020 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 25.11.2024 को फिरोजखान पुत्र इमरान को मु0अ0स0-47/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी
विवेचक उनि0 श्री रामनिवास शर्मा
पैरोकार-का0 तोताराम थाना कुतुबशेर